

पत्रावली पेश हुई। बाद तामील प्राप्त। उभयपक्ष उपस्थित। वादी प्रतिवादी द्वारा सयुक्त रूप से राजिनामा होने बाबत् प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया। पत्रावली वास्ते राजीनामा ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार हो नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(ईश्वरलाल खटीक)  
उपखण्ड अधिकारी  
गलियाकोट